सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट का लिया जायजा

सुरक्षा और व्यवस्थाओं को परखा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

- 28 मार्च को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

ग्रेटर नोएडा, 22 मार्च. उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ग्रेटर नोएडा जेवर पहुंचकर एयरपोर्ट परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

रविवार निरीक्षण के उपरांत आयोजित बैठक सीएम योगी ने कहा कि,एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रस्तावित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर एक विशाल जनसभा भी आयोजित होगी, जिसमें करीब डेढ़ लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है.

उद्घाटन के साथ ही जेवर का यह प्रोजेक्ट देश के एविएशन सेक्टर में एक नया अध्याय जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का निरीक्षण और उद्घाटन समारोह स्थल और वीवीआईपी मूवमेंट रूट का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी व्यवस्थाएं समय से पहले दुरुस्त कर ली जाएं.

माता वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू

जम्मू, 22 मार्च. जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर की यात्रा अस्थायी स्थगन के बाद रविवार को फिर से शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, भवन में आत्यधिक भीड़ के कारण यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी, जिसे अब फिर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कटरा में रविवार सुबह से यात्रा के लिए पंजीकरण भी दोबारा शुरू हो गया।

पंजीकरण के बाद 5,000 से अधिक श्रद्धालु गुफा मंदिर की ओर रवाना हुए थे। पंजीकरण केंद्रों पर भी भारी भीड़ देखी गई। नवरात्र के तीसरे दिन 'जय माता दी' के जयकारों के साथ सैकड़ों श्रद्धालु त्रिकुट पहाड़ियों की घुमावदार रास्तों से होते हुए भवन की ओर बढ़ते नजर आए।

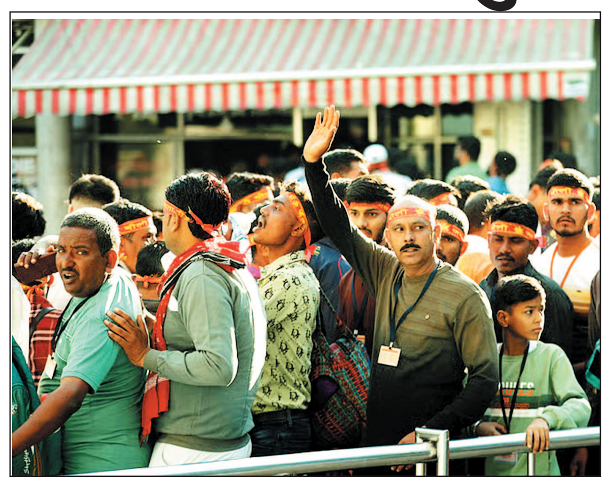

फूलों से सुसज्जित और रंग-बिरंगी रोशनी से आलोकित गुफा मंदिर का परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार है।

प्रशासन ने कटरा आधार शिविर और मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किए हैं, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुचारू ढंग से संचालित हो सके. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को भवन क्षेत्र में भारी भीड़ के मद्देनजर यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी थी। दोपहर बाद तक करीब 39,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे, जिसके चलते एहतियातन यह कदम उठाया गया। बता दें कि चैत्र नवरात्रि पर्व 27 मार्च को समाप्त होगा। इस कारण देश-विदेश से लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

केजरीवाल ने हवाई किराए के कुशल नियमन की अपील की

मध्यम वर्ग की आवश्यकता है हवाई यात्रा

नई दिल्ली, 22 मार्च. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घरेलू उड़ानों पर लगाए गए अस्थायी किराया प्रतिबंध को हटाने के एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है.

केंद्र सरकार ने ये फैसला इंडिगो की व्यापक उड़ान व्यवधानों के बाद लिया था. केजरीवाल ने हवाई यात्रा को मध्यम वर्ग के लिए एक लग्जरी नहीं बल्कि आवश्यकता बताया है. केजरीवाल ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर हवाई किराए के कुशल नियमन की अपील की है. बता दें कि भारतीय एयरलाइंस परिचालन संबंधी व्यवधानों, जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं.

ईरान ने इजराइल पर चार मिसाइलें दागीं

तेहरान, 22 मार्च. ईरान ने इजराइल पर रविवार सुबह से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

इजराइली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार, घायलों में बच्चे भी शामिल हैं. इससे पहले ईरान ने शनिवार रात भी इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया था.

परमाणु-संचालित ब्रिटिश पनडुब्बी अरब सागर पहुंची

ब्रिटेन की परमाणु-संचालित पनडुब्बी अरब सागर पहुंच गई है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज करने के संकेत दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एचएमएस एंसन नाम की यह पनडुब्बी छह मार्च को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से रवाना हुई थी और अब माना जा रहा है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती ले ली है. रिपोर्ट में बताया गया कि यह पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक-4 लैंड-अटैक मिसाइलों से लैस है.

कतर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 की मौत

दोहा, 22 मार्च. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कतर बड़ी खबर सामने आई है. कतर के क्षेत्रीय जल (टेरिटोरियल वॉटर) में रविवार तड़के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है. खाड़ी देश के अधिकारियों ने यह पुष्टि की. कतर के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के तुरंत बाद उनकी विशेष टीमें देश के क्षेत्रीय जल में खोज और बचाव अभियान चला रही हैं. ये अभियान कोस्ट्स और बॉर्डर्स सिक्योरिटी के जनरल डायरेक्टरेट की समुद्री तलाशी और बचाव टीम और आंतरिक सुरक्षा बल के कतर अंतरराष्ट्रीय तलाशी और बचाव समूह के साथ मिलकर, आपसी तालमेल से चलाए जा रहे हैं.

श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए

कोलंबो, 22 मार्च. कच्चे तेल की सप्लाई संकट के बीच श्रीलंकाई सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है. रविवार को हुई बढ़ोतरी के बाद श्रीलंका में रेगुलर पेट्रोल की कीमत 81 श्रीलंकाई रुपए बढ़कर 398 रुपए प्रति लीटर हो गई है. वहीं डीजल 79 रुपए महंगा होकर 382 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है. पिछले दो हफ्तों में यह दूसरी बार है जब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. इससे पहले पिछले हफ्ते कीमतों में 8 प्रतिशत का इजाफा किया था. हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देश में 4 डे वर्किंग वीक लागू कर दिया है.

रूस को अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजारों से कर रहा बेदखल

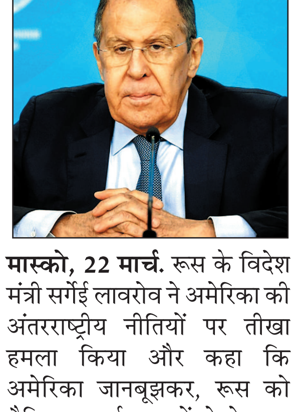

मास्को, 22 मार्च. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर तीखा हमला किया और कहा कि अमेरिका जानबूझकर, रूस को वैश्विक ऊर्जा बाजारों से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है. वह एक चर्चा में बोल रहे थे. लावरोव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में अमेरिका की ओर से रूस के हितों के सम्मान की कोई प्रतिबद्धता दिखाई नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि हमें सभी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों से बाहर धकेला जा रहा है.

NAME CHANGE

I **AZIZ** Here By declare that I have change My name as **AZIZ BOHRA** so from now in future I will be known by my new name **AZIZ BOHRA** for all future purposes.
Address-
C/O MUSTAFA BOHRA 103, MODI COMPLEX WARD NO. 13, KUKSHI DISTRICT DHAR MP-454331

NAME CHANGE

I **MARIYAM** Here By declare that I have change My name as **MARIYAM BOHRA** so from now in future I will be known by my new name **MARIYAM BOHRA** for all future purposes.
Address-
249, SAIFIYA UPMARG WARD NO. 06, KUKSHI DISTRICT DHAR MP-454331

NAME CHANGE

I **MUSTAFA** Here By declare that I have change My name as **MUSTAFA BOHRA** so from now in future I will be known by my new name **MUSTAFA BOHRA** for all future purposes.
Address-
S/O HATIM ALI 249, SAIFIYA UPMARG WARD NO. 06, KUKSHI DISTRICT DHAR MP-454331

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **24-04-2026** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **24-04-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **23-04-2026** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010** पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHL028400010032 5473 & TCHIN0284000100327736 & TCHHF028400010033 5859	श्री योगेश केशव भोई श्रीमती किर्ती भोई	₹ 41,321/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0284000100327736 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 4,54,979/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0284000100325473 एवं ₹ 11,42,847/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHF0284000100335859 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ 16,39,147/- 08-04-2025	₹ 19,25,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): ₹ 1,92,500/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	₹ 53,444/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0284000100327736 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 5,85,770/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0284000100325473 एवं ₹ 12,89,166/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHF0284000100335859 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ 19,28,380/- 13-03-2026

अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, उक्त आवासीय संपत्ति फ्लेट नं.जी-3, तृप्ती आर्केड की तल मंजिल पर निर्मित प्लॉट नं. 1329, स्कीम नं. 114-प्रथम, इन्दौर म.प्र. स्थित, **सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल** 590 वर्गफीट **चर्तुसीमा:-** पूर्व :- फ्लेट नं.जी-2, पश्चिम:- प्लॉट नंबर 1328, स्कीम नं. 114 प्रथम, उत्तर:- प्लॉट नंबर 1360, स्कीम नं. 114 प्रथम, दक्षिण:- कॉमन पैसेज एवं सिढ़ियां

नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रुप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 24-04-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। **2**. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। **3**. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र) 4**. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांडड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **5**. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। **6**. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। **7**. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **16-04-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। **8**. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। **9**. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। **10**. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। **11**. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें । 13.** उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। **14**. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/gaflzz** का संदर्भ लें। **15**. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 23-03-2026
हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल मुम्बई - 400 013. संपर्क (022) 66069383
शाखा कार्यालय : तीसरी मंजिल, युनिट नं. 301, एनआरके टेक पार्क, प्लाट नं. 9/सी/सीए, स्कीम नं. 94, रिंग रोड़, रेडीसन चौराहे के पास, इन्दौर म.प्र.-452010.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।

चूंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है।

ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक	कब्जे का प्रकार
TCHHF0284000100298474 & TCHHL0284000100330689 & TCHIN0284000100330698	श्री प्रदीप चौधरी (ऋणी), श्रीमती संगीता चौधरी (सह ऋणी)	Rs.22,78,709/- & Rs.12,21,229/- & Rs.74,443/-	02-01-2026 18-03-2026	सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण : संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग, सर्वे नं.634/2 के भाग पर निर्मित मकान, ग्राम रंगवासा स्थित, पटवारी हल्का नं. 09 (न्यू 13), तहसील एवं जिला इन्दौर (म.प्र.) भूमि के क्षेत्रफल 30फीट *38 फीट = 1140 वर्गफीट (105.94 वर्गमीटर) एवं ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित क्षेत्रफल 900 वर्गफीट (83.64 वर्गमीटर), **चर्तुःसीमा:-** पूर्वः दिलीप ठाकुर का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः नन्दकिशोर नरोलिया का प्लॉट, दक्षिणः मांगीलाल जोशी का प्लॉट

दिनांक : 18.03.2026
स्थान : इंदौर
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल मुम्बई - 400 013. संपर्क (022) 66069383
शाखा कार्यालय : तीसरी मंजिल, युनिट नं. 301, एनआरके टेक पार्क, प्लाट नं. 9/सी/सीए, स्कीम नं. 94, रिंग रोड़, रेडीसन चौराहे के पास, इन्दौर म.प्र.-452010.

मांग सूचना
प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, 2002(''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अधीन

जैसा कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/ सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सूचना मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन विस्तृत मांग सूचना दिनांक जारी किए गए थे. कथित सूचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित बाध्यताधारी/ कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यविधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है।

उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुन: सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों /विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और/या वसुली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों के समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियों से 60 दिन के अंदर टीसीएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भुगतान की सुरक्षा के रुप मे टीसीएचएफएल के लिए गिरवी रखी गई है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
1	TCHHL0284000100305203 & TCHIN0284000100306332	श्री अंकित जाट (ऋणी) श्रीमती शिखा कुशवाह (सह-ऋणी)	Rs. 18,11,587/- & Rs. 55,729/-	04-03-2026 & 03-03-2026
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 28, सिमरोल टाउनशिप, तहसील महू, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की अचल संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग फुट यानी (102.23 वर्ग मीटर) है। **चर्तुसीमा** : पूर्व : सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर 11, उत्तर: प्लॉट नंबर 27, दक्षिण: प्लॉट नंबर 29			
2	TCHHL0284000100226883 & TCHHF0284000100237409	श्री भारतदास वैष्णव (ऋणी) श्रीमती कांता वैष्णव (सह-ऋणी)	Rs. 17,77,122/- & Rs. 7,71,228	10-03-2026 & 05-03-2026
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 211 का उत्तरी भाग, प्रिंस सिटी, ग्राम सुखलिया (खातीपुरा), तहसील और जिला इंदौर, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट यानी 74.34 वर्ग मीटर है। **चर्तुसीमा :** पूर्व : सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर 215, उत्तर: प्लॉट नंबर 210, दक्षिण: उक्त प्लॉट का शेष भाग			
3	10028616	श्रीमती सुंदर केमा (सह-ऋणी), स्व. श्री हरीश केमा (ऋणी) की माता एवं कानूनी उत्तराधिकारी	Rs. 15,42,460/-	12-03-2026 & 07-02-2026
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 41, वैकुंठ धाम कॉलोनी, ग्राम पंड्याखेड़ी, तहसील और जिला उज्जैन में स्थित, जिसका कुल क्षेत्रफल 88.39 वर्ग मीटर है। **चर्तुसीमा :** पूर्व : कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर 107, उत्तर: प्लॉट नंबर 42, दक्षिण: प्लॉट नंबर 40			
4	TCHHL0284000100183281 & TCHHF0284000100318856 & TCHIN0284000100187222	श्री मुरली पाटनकर (ऋणी) श्रीमती वैशाली पाटनकर (सह-ऋणी)	Rs. 13,63,233/- & Rs. 57,164/- & Rs.7,07,118/-	13-03-2026 & 03-03-2026
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: फ्लैट नंबर 401, चौथी मंजिल, 'लक्ज़री अपार्टमेंट', प्लॉट नंबर सी-12, श्रीजी वैली, ग्राम भिचोली मर्दाना, तहसील और जिला इंदौर, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र 950 वर्ग फुट यानी 88.28 वर्ग मीटर है। **चर्तुसीमा :** पूर्व : प्लॉट का खुला आसमान वाला हिस्सा, पश्चिम: लिफ्ट और सामान्य रास्ता (कॉमन पैसेज), उत्तर: फ्लैट नंबर 402, दक्षिण: प्लॉट का खुला आसमान वाला हिस्सा			
5	TCHHL0284LO000100157913 & TCHIN0284000100158806 & TCHIN0284000100238630	श्रीमती सीमा नामदेव (ऋणी) श्रीमती मीरा नामदेव (सह-ऋणी)	Rs. 71,014/- & Rs. 14,51,575/- & Rs. 1,39,052/-	10-03-2026 & 05-03-2026
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: फ्लैट नंबर 603, छठी मंजिल, रास टाउन, ब्लॉक-जी, ग्राम तलावली चांदा, तहसील और जिला इंदौर, जिसका बिल्ट-अप क्षेत्र 38.51 वर्ग मीटर (कारपेट क्षेत्र 33.91 वर्ग मीटर) है। चर्तुसीमा : पूर्व : कॉरिडोर, पश्चिम: कॉलोनी की सड़क, उत्तर: लिफ्ट, दक्षिण: फ्लैट नंबर 602			
6	9802110 & 9835996	श्री वैष्णव श्रीवास (ऋणी) श्रीमती नेहा श्रीवास (सह-ऋणी)	Rs. 13,27,175/- & Rs.4,52,139/-	11-03-2025 & 09-03-2026
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 146 का पश्चिमी भाग, वीणा नगर, ग्राम सुखलिया (खातीपुरा), तहसील और जिला में स्थित। मुख्य मकान के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) का कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट यानी 37.17 वर्ग मीटर है। जिस पर भूतल पर 400 वर्ग फुट (37.17 वर्ग मीटर) एवं पहली मंजिल पर 400 वर्ग फुट (37.17 वर्ग मीटर) का आरसीसी से निर्मित आवासीय मकान बना हुआ है। **चर्तुसीमा :** पूर्व : उसी प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम: प्लॉट नंबर 145, उत्तर: सड़क, दक्षिण: प्लॉट नंबर 185.			

*संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रुप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और/या वसूली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी टीसीएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो टीसीएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रुप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्तसुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियो को बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में हस्तांतरित करने के लिए कथित अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित सजा और/या दंड का पात्र होगा।

दिनांक : 23.03.2026
स्थान : इन्दौर
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
पीथमपुर शाखा : शॉप नं. DUGF-46 & DUGF-47, प्रापर्टी नं. 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्पलेक्स एवं संस्कार वैली, महू-नीमच रोड़, पीथमपुर, जिला -धार, मध्य प्रदेश-453331.

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/ जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 05100002284 / पीथमपुर शाखा) शोभा बाई यादव (ऋणी) अरुण यादव (सह-ऋणी)	08-07-2024 & ₹ 4,57,591/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, रो हाउस पार्ट नंबर बी पंजी नंबर 4 1 पर स्थित, जिसे श्रीराम नगर के नाम से ज्ञात, गुजरखेड़ा, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 453441 **चर्तुसीमाएं:-** पूर्व - प्लॉट नंबर सी, पश्चिम - प्लॉट नंबर ए, उत्तर - सड़क, दक्षिण - अन्य भूमि	Rs. 9,60,000/-	Rs. 96,000/-	भौतिक
2	(लोन कोड नं. 05110000804 एवं 05110000837 / पीथमपुर शाखा) मोहम्मद सांवले शेख (ऋणी) समिना खातून एवं अरमान शेख (सह-ऋणी)	09-01-2026 & ₹ 25,94,271/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ एवं एफएफ रास लेकव्यू गोपालपुरा रोड़, प्लाट नं. ए-10, भरदाला तहसील महू इंदौर मध्य प्रदेश 453441 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - कॉलोनी का अन्य प्लाट, पश्चिम - कॉलोनी रोड़, उत्तर - प्लाट नं. ए 09, दक्षिण - प्लाट नं. ए 11	Rs. 24,96,000/-	Rs. 2,49,600/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **27-04-2026 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **2.** संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **28-04-2026 दोपहर : 03:00 बजे से 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है। **3.** जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी। **4.** डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। **5.** नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। **6.** इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। **7.** अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दिपक मालवीय, (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है। **8.** बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋ णदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें। **9.** नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है। **10.** यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 23.03.2026
सही/- प्राधिकृत अधिकारी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड